

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

कमांक एफ/20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 11/02/09

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (कमांक 21 सन् 2008) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग	सदस्य
9	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	सदस्य
10	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश	सदस्य
11	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

कमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 11/2/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क0 एफ 20-32/08/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 11 /02/09

प्रतिलिपि :-

- 1) नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 150 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें ।
- 2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त/वाणिज्यिक कर/श्रम/आवास एवं पर्यावरण/ऊर्जा/राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 3) विशेष सहायक माननीय मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार/वित्त/वाणिज्यिक कर विभाग ।
- 4) मुख्य सचिव के स्टाफ अफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
- 5) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 6) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।
- 7) प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।

(एम.एस.सोलकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

CGM (V)

M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
13 FEB 2009
Inward No. 2929

में

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ-20-32/08/बी/ग्यारह

भोपाल, दिनांक 27/07/09

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 7 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित उद्यमियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के लिए रूपये 10 करोड़ (रूपये दस करोड़) से अधिक तथा रूपये 25 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़) तक की वित्तीय सीमा अधिसूचित करती है, जिन पर, राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/08/बी/ग्यारह, दिनांक 27/7/09 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ०क० एफ 20-32/08/बी-ग्यारह


भोपाल, दिनांक 27/07/09

प्रतिलिपि :-

- 1) नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचनाओं को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें, प्रकाशन की 150 प्रतियां कृपया इस विभाग को भेजें ।
- 2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त/वाणिज्यिक कर/श्रम/आवास एवं पर्यावरण/ऊर्जा/राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 3) विशेष सहायक माननीय मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार/वित्त/वाणिज्यिक कर विभाग ।
- 4) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
- 5) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 6) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, भोपाल ।
- 7) प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि०, भोपाल।

30/7/09

ED (B)
CGM(VI)



3388/CGM(VI)
G.M.

5 02
20.7.09



(एम.एस.सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग